झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (एस0) सं0–923 वर्ष 2017

श्री राम बाबू कुमार, पे0 स्वर्गीय कमलदेव राम, निवासी–विजन एन्क्लेव, फ्लैट संख्या 208, न्यू फॉरेस्ट कॉलोनी, हजारीबाग, डाकघर+थाना+जिला–हजारीबाग, वर्तमान में वन रेंज अधिकारी, लातेहार फॉरेस्ट डिवीजन, निवासी–लातेहार, डाकघर, थाना और जिला–लातेहार

..... याचिकाकर्ता

बनाम्

1. झारखंड राज्य
2. प्रधान सचिव, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड सरकार, डोरण्डा, डाकघर एवं थाना–डोरण्डा, जिला–रांची
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड वन भवन, डाकघर एवं थाना–डोरण्डा, जिला–रांची
4. क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग, वन भवन, हजारीबाग, डाकघर+थाना+जिला–हजारीबाग
5. वन प्रमण्डल अधिकारी, हजारीबाग, डाकघर, थाना और जिला–हजारीबाग

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार द्विवेदी**

याचिकाकर्ता के लिए :– श्री ललन कुमार सिंह, अधिवक्ता

उत्तरदाता–राज्य के लिएः– श्री किशोर कुमार सिंह, एस0सी0–IV

10/04.01.2021 याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री ललन कुमार सिंह और प्रतिवादियों के विद्वान वकील श्री किशोर कुमार सिंह को सुना गया।

कोविड–19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति को ध्यान में रखते हुए उच्च न्यायालय के दिशा–निर्देशों के मद्देनजर यह रिट याचिका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनी गई है। किसी भी पक्ष ने ऑडियो–वीडियो की किसी भी तकनीकी गड़बड़ी के बारे में शिकायत नहीं की है और उनकी सहमति से इस मामले को सुना गया है।

याचिकाकर्ता ने अधिसूचना दिनांकित 03.02.2012 को रद्द करने के लिए यह रिट याचिका दायर किया है जिसके द्वारा संचयी प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकने की बृहद सजा दी गई है। इस रिट याचिका में दिनांक 23.05.2016 के अपीलीय आदेश को भी चुनौती दी गई है।

याचिकाकर्ता को वन संरक्षक, अनुसंधान और सिल्विकल्चरिस्ट सर्कल, झारखण्ड, रांची के तहत वन क्षेत्र पदाधिकारी, सिसल वन रेंज, लातेहार के रूप में तैनात किया गया था। दिनांक 21.09.2005 के ज्ञापन संख्या 5514 के तहत याचिकाकर्ता के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू की गई थी। याचिकाकर्ता के खिलाफ आठ आरोप लगाए गए थे। जांच अधिकारी द्वारा एक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसमें याची को आरोप संख्या 1 से 5 से बरी कर दिया गया है और आरोप संख्या 6 और 7 आंशिक रूप से साबित हुए थे। इसके अनुसरण में, आक्षेपित आदेश द्वारा याची के विरूद्ध संचयी प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धि को रोकने की बृहद दंड अधिरोपित किया गया है। याचिकाकर्ता ने अपील दायर की जिसे भी खारिज कर दिया गया। इससे असंतुष्ट होकर याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री ललन कुमार सिंह प्रस्तुत करते हैं कि जांच रिपोर्ट और दूसरे कारण बताओ की प्रति आपूर्ति किए बिना, आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो कानून की नजर में उचित नहीं है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि पत्र संख्या 289 दिनांकित 24.02.2010 के मद्देनजर, याची को विभाग के भीतर मतभेद के आधार पर सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। उक्त पत्र में कहा गया है कि सरकारी धन का कोई गबन नहीं हुआ है। यह पत्र वन विभाग के उच्च अधिकारी द्वारा जारी किया गया है, जो हजारीबाग के क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक हैं।

श्री किशोर कुमार सिंह, प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील प्रस्तुत करते हैं कि यह एक विदित स्थिति है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी नहीं किया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, मामले को नए सिरे से निर्णय लेने के लिए संबंधित प्राधिकारी को वापस भेजा जा सकता है।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए और परिशिष्ट–4 में निहित पत्र संख्या 289 दिनांक 24.02.2010 पर विचार करते हुए, ऐसा प्रतीत होता है कि याची को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया है। स्वीकृत रूप से, याचिकाकर्ता को जांच रिपोर्ट और दूसरा कारण दिए बिना बड़ी सजा दी गई है। विदित स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आक्षेपित आदेश कानून की नजर में उचित नहीं है। तदनुसार, दिनांक 03.02.2012 की अधिसूचना और दिनांक 23.05.2016 के अपीलीय आदेश को रद्द कर दिया जाता है। मामला प्रत्यर्थी सं0 4 को वापस भेजा जाता है, जो कानून के अनुसार एक नया निर्णय लेगा।

रिट याचिका को उपरोक्त शर्तों में अनुमति दी जाती है और निपटाया जाता है।

(संजय कुमार द्विवेदी, न्याया0)